

प्रपत्र-एम.एम. 13 (20वाँ)

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79 देखिये)

- (1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का नाम, पता :
- (2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का व्यवसाय :
- (3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरुद्ध, :
अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) :
- (4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय :
- (5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है :-

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का योग
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का, मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

- (6) क्या उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 77 के उपनियम (4) में विहित रीति में से 500.00 रुपये का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?
- (7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।
- (8) पक्ष/पक्षकारों के, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता .
- (9) याचिका, की प्रतियों की संख्या जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकार/पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों को संलग्न किया जाना चाहिये) :-
- (10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :-
 - (क) संक्षिप्त तथ्य,
 - (ख) आधार,
 - (ग) प्रार्थना,
- (11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।

स्थान

दिनांक

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।